प्रेस विज्ञप्ति
13.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ नगर निगम और अन्य सरकारी खातों से जुड़े 597 करोड़ रुपये (लगभग) के सार्वजनिक धन के गबन से संबंधित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले के संबंध में 12/3/2026 को चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, गुड़गांव और बैंगलोर में 19 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। यह राशि बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखी जानी थी; हालांकि, आरोपियों ने बिना अनुमति के इस सरकारी धन को दूसरी जगह लगा दिया। तलाशी अभियान में पूर्व बैंक कर्मचारियों रिभव ऋषि और अभय कुमार, उनके परिवार के सदस्यों, लाभार्थी शेल संस्थाओं मेसर्स स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स, मेसर्स कैपको फिनटेक सर्विसेज और मेसर्स मां वैभव लक्ष्मी इंटीरियर्स, मेसर्स एसआरआर प्लानिंग गुरूस प्राइवेट लिमिटेड, जौहरियों मेसर्स सावन ज्वैलर्स और रियल एस्टेट डेवलपर्स जैसे विक्रम वाधवा और उनके व्यावसायिक संस्थाओं को शामिल किया गया है।

ईडी ने विकास और पंचायत विभाग, हरियाणा के आईडीएफसी बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक खाते में शेष राशि के बेमेल होने के संबंध में फरवरी, 2026 में राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकुला द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए, 2002 के तहत जांच शुरू की।

तलाशी में पता चला है कि अभियुक्तों द्वारा गबन किए गए सार्वजनिक धन को कई मुखौटा संस्थाओं में भेजा गया है और उन्हें कई स्तरों पर रखा गया है। इस घोटाले में, मुखौटा इकाई, स्वस्तिक देश प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को शामिल किया गया और शुरू में भारी सरकारी धन को इस खाते में भेजा गया था। स्वस्तिक देश के भागीदार स्वाति सिंगला और अभिषेक सिंगला हैं। इसके बाद, अधिकांश धन को जौहरियों के बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया ताकि जाली बिलिंग के माध्यम से सोने की खरीद का भ्रम पैदा किया जा सके। यह घोटाला लगभग पिछले एक वर्ष के दौरान पूर्व बैंक कर्मचारियों की सहायता से जारी रहा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्व बैंक कर्मचारी रिभव ऋषि ने बैंक की धनराशि को निकालने के लिए विभिन्न फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने जून 2025 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से इस्तीफा दे दिया। अपराध की कुछ धनराशि रिभव ऋषि और उनकी पत्नी श्रीमती दिव्या अरोरा के बैंक खातों में भी स्थानांतरित की गई थी।

इसके अलावा, विक्रम वाधवा नामक एक होटल व्यवसायी और रियल एस्टेट डेवलपर द्वारा भी बड़ी मात्रा में धन निकाला गया है, जो मोहाली में विभिन्न परियोजनाएँ चला रहा है। विक्रम वाधवा, जिसने सीधे अपने बैंक खाते में अपराध से प्राप्त आगम प्राप्त की है, ने बाद में धन को विभिन्न रियल एस्टेट प्रतिष्ठानों जैसे प्रिस्मा रेजीडेंसी एलएलपी, किन्स्पायर रियल्टी एलएलपी और मार्टेल बिल्डवेल एलएलपी को हस्तांतरित कर दिया। इन सभी संस्थाओं को तलाशी में शामिल किया गया और रियल एस्टेट निवेश से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए गए। यह पाया गया कि उसने बैंक के धन को निकालने के लिए ज्वैलर्स, मेसर्स सावन ज्वैलर्स, मेसर्स कैपको फिनटेक सर्विसेज (भूपिंदर सिंह) और मेसर्स क्लाइटा ज्वैलर्स और स्वस्तिक देश प्रोजेक्ट्स जैसी फर्जी संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग किया था। तलाशी अभियान के दौरान विक्रम वाधवा का पता नहीं चल सका और धोखाधड़ी के प्रकाश में आने के बाद से वह फरार है।

जाँच में यह भी पता चला कि चंडीगढ़ मेगा स्टोर नामक संस्था को प्राप्त पर्याप्त धनराशि भी आरोपी व्यक्तियों द्वारा स्तरित (layered) की गई थी और निकाल ली गई थी। स्टोर के भागीदारों, यानी मोहित गोयल को भी तलाशी के दौरान शामिल किया गया और धनराशि निकालने से संबंधित सबूत बरामद किए गए। तलाशी अन्य संस्थाओं जैसे मेसर्स मां वैभव लक्ष्मी इंटीरियर्स और मेसर्स एसआरआर प्लानिंग गुरूस प्राइवेट लिमिटेड में भी की गई और यह पाया गया कि इन संस्थाओं को सरकारी खातों से सीधे धनराशि प्राप्त हुई थी और बाद में इसे अन्य फर्जी संस्थाओं में लेयर करके फैला दिया गया, जिसकी जाँच चल रही है।

तलाशी के दौरान 90 से अधिक बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और डिजिटल के साथ-साथ दस्तावेज साक्ष्यों के रूप में अपराध संकेती सामग्री जब्त की गई है।

आगे की जाँच जारी है।